न्यायालय–अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,कोर्ट नं० 4, कुशीनगर स्थान–पडरौना।

सत्र परीक्षण सं०–**543/2019**

सरकार बनाम प्रहलाद व अन्य।

आरोप

मैं, अभिमन्यु सिंह, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं० 4, कुशीनगर स्थान–पडरौना, आप अभियुक्तगण प्रहलाद गुप्ता, जितेन्द्र गुप्ता व विट्टू गुप्ता को निम्नलिखित आरोपों से आरोपित करता हूँ–

1– यह कि दिनांक 26.10.2013, समय 07.00 बजे शाम, वहद ग्राम–बेलवा कारखाना, थाना–पटहेरवा, जिला–कुशीनगर में आप लोगों ने वादिनी मुकदमा आशा देवी के पति के गले पर चाकू से वार किया, जिससे यदि उसकी मृत्यु कारित हो जाती तो आप हत्या के दोषी होते। इस प्रकार आपने भां०दं०सं० की धारा–307 के तहत दण्डनीय अपराध किया, जो कि इस न्यायालय में प्रसंज्ञान में है।

2– यह कि उक्त तिथि समय व स्थान पर आप लोगों ने वादिनी मुकदमा उक्त के पति उक्त को लाठी–डंडा व घातक हथियार से मार पीट कर साधारण उपहति कारित किया। इस प्रकार आपने भा०द०सं० की धारा–323/34 के तहत दण्डनीय अपराध किया, जो कि इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

3– यह कि उक्त तिथि समय व स्थान पर आप लोगों ने वादिनी मुकदमा उक्त के पति उक्त को गाली–गुप्ता देकर लोक शांति भंग कराने को प्रकोपित करने के आशय से अपमानित किया। इस प्रकार आप ने भा०द०सं० की धारा–504/34 के तहत दण्डनीय अपराध किया, जो कि इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

4– यह कि उक्त तिथि, समय व स्थान पर आप लोगों ने वादिनी मुकदमा उक्त के पति उक्त को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया। इस प्रकार आप लोगों ने भा०द०सं० की धारा–506/34 के तहत दण्डनीय अपराध किया, जो कि इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद् द्वारा आपको आदेशित किया जाता है कि आपका विचारण उपरोक्त आरोपों हेतु इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनांकः**19.02.2020** (**अभिमन्यु सिंह**)

अपर सत्र न्यायाधीश,कोर्ट नं० 4

कुशीनगर स्थान पडरौना।

आरोप अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्तगण ने आरोपों से इन्कार किया तथा विचारण की याचना की ।

दिनांकः**19.02.2020** (**अभिमन्यु सिंह**)

अपर सत्र न्यायाधीश,कोर्ट नं० 4

कुशीनगर स्थान पडरौना।

न्यायालय–अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,कोर्ट नं० 4, कुशीनगर स्थान–पडरौना।

सत्र परीक्षण सं०–**543/2019**

सरकार बनाम प्रहलाद व अन्य।

19.02.2020

पत्रावली पेश हुई। पुकार करायी गयी। पुकार पर अभियुक्तगण प्रहलाद गुप्ता, जितेन्द्र गुप्ता व विट्टू गुप्ता मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के तर्कों को सुना और पत्रावली का परिशीलन किया।

पत्रावली आरोप विरचन हेतु नियत है। न्यायालय द्वारा विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी एवं अभियुक्तगण की तरफ से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को सुना गया। अभियुक्तगण की तरफ से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया है कि अभियुक्तगण के विरूद्ध भा०द०सं० की धारा–307,323/34,504/34 व 506/34 का अपराध नहीं बनता है।

इस पर सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी द्वारा विरोध करते हुये कथन किया गया है कि विवेचक द्वारा तमामी विवेचना एकत्र साक्ष्य के आधार पर आरोप–पत्र प्रेषित किया गया है। आरोप विरिचत किये जाने की याचना की गयी है। पत्रावली पर उपलब्ध कराये गये अभियोजन प्रपत्रों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विवेचक द्वारा दौरान विवेचना तमामी साक्ष्यों का साक्ष्य संकलित करते हुये आरोप–पत्र प्रेषित किया गया है। न्यायालय की राय में अभियुक्तगण प्रहलाद गुप्ता, जितेन्द्र गुप्ता व विट्टू गुप्ता के विरूद्ध भा०द०सं० की धारा–307,323/34,504/34 व 506/34 के अंतर्गत आरोप विरचित किये जाने हेतु पर्याप्त आधार है। पत्रावली आरोप विरचन हेतु लंच बाद पेश हो।

अपर सत्र न्यायाधीश,कोर्ट नं० 4
कुशीनगर स्थान पडरौना।

लंच बाद

पत्रावली लंच बाद पेश हुई। पुकार करायी गयी। पुकार पर अभियुक्तगण प्रहलाद गुप्ता, जितेन्द्र गुप्ता व विट्टू गुप्ता मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा भा०द०सं० की धारा–307,323/34,504/34 व 506/34 के अंतर्गत आरोप विरचित किया गया। आरोप पढ़कर अभियुक्तगण को सुनाया व समझाया गया। अभियुक्तगण ने आरोप से इंकार किया तथा विचारण की मांग की। पत्रावली वास्ते साक्ष्य दिनांक 18.03.2020 को पेश हो।

अपर सत्र न्यायाधीश,कोर्ट नं० 4
कुशीनगर स्थान पडरौना।